(घ) 6 मामलों में मंजूरी दी गई, 5 को रद्द किया गया और 3 अवलिम्बत है ।

सरकारी नौकरियों में भर्ती

1203. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती के मामले में गावों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा शहरी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, चाहे उनकी अर्हतायें समान हों; और

(ख) यदि हां, तो यह भेदभाव दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं । संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता । इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को अन्य बातों के साथ-साथ जन्म स्थान अथवा रिहाइश के आधार पर किसी भी सरकारी पद अथवा नियुक्ति के लिये न तो अपात्र ही माना जायेगा और न ही उसके साथ भेद-भाव का बर्ताव होगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन

1204. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के कारण संघ राज्य क्षेत्रों में वार्षिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई और इस अतिरिक्त व्यय की पूर्ति किस प्रकार की जाती है ;

(ख) क्या इन संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था सम्बन्धी वर्तमान कानून में कठिनाइयों को दूर करने और उसमें सुधार करने के लिये कोई संशोधन विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या तथा संशोधन विधेयक कब तक संसद् में प्रस्तुत किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा गोआ, दमन और दीव तथा पांडीचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों में लोकतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू होने के कारण इन क्षेत्रों के इस वर्ष के व्यय में विधान सभाओं के मंत्रियों तथा अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा सदस्यों के वेतन के लिये की गई व्यवस्था के रूप में होने वाला व्यय इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

हिमाचल प्रदेश	6.39
मनीपुर	4.91
त्रिपुरा	5.20
गोआ, दमन और दीव	5.26
पांडीचेरी	4.52

इस के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा में विधान सभाओं की स्थापना से पूर्व जो क्षेत्रीय परिषदें थी उनकी समाप्ति से कुछ बचत हुई है । 1963-64 में इन परिषदों के अध्यक्ष तथा सदस्यों